एक आम आदमी का प्रधानमंत्री पत्र

भारत के माननीय प्रधानमंत्री,

मैं भारत के आम नागरिक मतदाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि में और मेरे साथी 75 करोड़ भारतीय मतदाताओं के सांसदों/विधायकों के कानूनों पर हाँ या नहीं को ध्यान दिया जाना चाहिए और आपकी वेबसाइट पर आना चाहिए। स्त्री, दलित, किसान, गरीब या किसी भी नागरिक अगर मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, अधिकारियों, पुलिस आदि के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी शिकायत या कोई हलफनामा डालना चाहें तो भी आपकी वेबसाइट पर डालने के विचार का भी विरोध करेंगे, तो मैं उससे मुझे विश्वास हो जायेगा कि आप हमारी आवाज दबाना चाहते हैं। मुझे आशा है कि ऐसा मामला नहीं है, और इसलिए आप एक नागरिक की अपनी शिकायत डालने की मांग का विरोध नहीं करेंगे।

इसलिए मैं आपसे अगले 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित सरकार के आदेश पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करता हूँ।

	अधिकारी	प्रोसीजर
१.	कलेक्टर या उसके क्लार्क	कोई भी महिला, दलित मतदाता, गरीब मतदाता, वृद्ध मतदाता, मजदुर मतदाता,किसान मतदाता या कोई भी नागरिक मतदाता यदि खुद हाजिर होकर यदि अपनी राइट टू इंन एन्फर्मेशननी अर्जी या भ्रस्टाचार के खिलाफ फरियाद या कोई भी एफिडेविट देता है तो कोई भी दलील बिना कलेक्टर (या उसका क्लार्क)उस एफिडेविट को पार्टी पेज रु २०/-लेकरसीरियल नंबर दे कर पधानमंत्री वेबसाइट पर रकेगा ।
२.	पटवारी (तलाटी लेखपाल)	कोई भी महिला मतदाता, दलित मतदाता या कोई भी मतदाता यदि कलम दवारा दी गई अर्जी को फरियाद या सबुत पर आपनी हा या ना दर्ज कराने मतदाता कार्ड लेकर आये, ३ रुपये का शुल्क लेकर पटवारी नागरिक का मतदाता संख्या, नाम, उअसकी हा या ना को कंप्यूटर में दर्ज करेगा। नागरिक हा या ना पधानमंत्री की वेब-साईट पर आएगी। पटवारी नागरिक की हा या ना ३ रूपये देकर बदलेगा। गरीबी रेखा नीचे के नागरिको से शुल्क १ का होगा।
३.	----------	यह हा या ना अधिकारी, मंत्री, न्याधीश, सांसद, विधायक, अदि पर वेंधनकर्ता नही होगी। लेकिन यदि भारत ३७ करोड मतदाता, वृद्ध मतदाता या कोई भी ३७ करोड नागरिक मतदाता कोई एक अर्जी, फरियाद पर हा दर्ज करे तो पधानमंत्री उस फरियाद, अर्जी पर फरियाद, अर्जी पर ध्यान दे सकते हे या नही दे सकते, या इस्तीफा दे सकते हे। उसका निर्णय अंतिम होगा।

में आपसे बिन्ती करता हूँ की हम आम नागरिक को यदि आप इस सरकारी आदेश को हस्ताक्षर करने का नियत रखते हे।
भवद□य,
नाम: _____ पता: _____ मतदाता कार्ड संख्या: _____
(पत्र लेखक के लिए निदेश: कृपया इस याचिका भी पर हस्ताक्षर करना
http://www.petitiononline.com/rti2en/)

एक आम आदमी का मुख्यमंत्री पत्र

भारत के माननीय मुख्यमंत्री,

मैं भारत के आम नागरिक मतदाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि में और मेरे साथी 75 करोड़ भारतीय मतदाताओं के सांसदों/विधायकों के कानूनों पर हाँ या नहीं को ध्यान दिया जाना चाहिए और आपकी वेबसाइट पर आना चाहिए। स्त्री, दलित, किसान, गरीब या किसी भी नागरिक अगर मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, अधिकारियों, पुलिस आदि के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी शिकायत या कोई हलफनामा डालना चाहें तो भी आपकी वेबसाइट पर डालने के विचार का भी विरोध करेंगे , तो मैं उससे मुझे विश्वास हो जायेगा कि आप हमारी आवाज दबाना चाहते हैं। मुझे आशा है कि ऐसा मामला नहीं है, और इसलिए आप एक नागरिक की अपनी शिकायत डालने की मांग का विरोध नहीं करेंगे।

इसलिए मैं आपसे अगले 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित सरकार के आदेश पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करता हूँ।

	अधिकारी	प्रोसीजर
१.	कलेक्टर या उसके क्लार्क	कोई भी महिला, दलित मतदाता, गरीब मतदाता, वृद्ध मतदाता, मजदुर मतदाता,किसान मतदाता या कोई भी नागरिक मतदाता यदि खुद हाजिर होकर यदि अपनी राइट टू इंन एन्फर्मेशननी अर्जी या भ्रस्टाचार के खिलाफ फरियाद या कोई भी एफिडेविट देता है तो कोई भी दलील बिना कलेक्टर (या उसका क्लार्क)उस एफिडेविट को पार्टी पेज रु २०/-लेकरसीरियल नंबर दे कर मुख्यमंत्री वेबसाइट पर रकेगा ।
२.	पटवारी (तलाटी लेखपाल)	कोई भी महिला मतदाता, दलित मतदाता या कोई भी मतदाता यदि कलम दवारा दी गई अर्जी को फरियाद या सबुत पर आपनी हा या ना दर्ज कराने मतदाता कार्ड लेकर आये, ३ रुपये का शुल्क लेकर पटवारी नागरिक का मतदाता संख्या, नाम, उअसकी हा या ना को कंप्यूटर में दर्ज करेगा। नागरिक हा या ना मुख्यमंत्री की वेब-साईट पर आएगी। पटवारी नागरिक की हा या ना ३ रूपये देकर बदलेगा। गरीबी रेखा नीचे के नागरिको से शुल्क १ का होगा।
३.	----------	यह हा या ना अधिकारी, मंत्री, न्याधीश, सांसद, विधायक, अदि पर वेंधनकर्ता नही होगी। लेकिन यदि भारत ३७ करोड मतदाता, वृद्ध मतदाता या कोई भी ३७ करोड नागरिक मतदाता कोई एक अर्जी, फरियाद पर हा दर्ज करे तो मुख्यमंत्री उस फरियाद, अर्जी पर फरियाद, अर्जी पर ध्यान दे सकते हे या नही दे सकते, या इस्तीफा दे सकते हे। उसका निर्णय अंतिम होगा।

में आपसे बिन्ती करता हूँ की हम आम नागरिक को यदि आप इस सरकारी आदेश को हस्ताक्षर करने का नियत रखते हे।
भवदिय,
नाम: _____ पता: _____ मतदाता कार्ड संख्या: _____
(पत्र लेखक के लिए निदेश: कृपया इस याचिका भी पर हस्ताक्षर करना
http://www.petitiononline.com/rti2en/)

अथ षष्ठसमुल्लासारम्भः

अथ राजप्रजाधर्मान् व्याख्यास्यामः

राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः। संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा। १।
ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि। सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्त्तव्यं परिरक्षणम्। २।

अब मनुजी ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के व्यवहारकथन के पश्चात् राजधर्मों को कहेंगे कि जिस प्रकार का राजा होना चाहिये, और जैसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको परमसिद्धि प्राप्त होवे, वह प्रकार सब कहते हैं।। १।। कि जैसा परम विद्वान् ब्राह्मण होता है, वैसा विद्वान् सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत् करे।। २।। कैसे कर सकता है—

त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि। ऋ० मं० ३। सू० ३८। मं० ६।।

ईश्वर उपदेश करता है कि (राजाना) राजा और प्रजा के पुरुष मिल के (विदथे) सुख प्राप्ति और विज्ञानवृद्धि कारक राजा-प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवहार में (त्रीणि सदांसि) तीन सभा अर्थात् विद्यार्य्यसभा, धर्मार्य्यसभा और राजार्य्यसभा नियत करके (पुरूणि) बहुत प्रकार के (विश्वानि) समग्र प्रजासम्बन्धी मनुष्यादि प्राणियों को (परिभूषथः) सब ओर से विद्या, स्वातन्त्र्य, धर्म, सुशिक्षा और धनादि से अलंकृत करें।

तं सभा च समितिश्च सेना च। १। अथर्व० कां० १५। अनु० २। व० ६। मं० २। (१५/६/२)
सभ्यं सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः।। २।।

अथर्व० कां० १९। अनु० ७। व० ५५। मं० ६। (१९/५५/६)

(तम्) उस राजधर्म को (सभा च) तीनों सभा (समितिश्च) संग्रामादि की व्यवस्था, और (सेना च) सेना मिलकर पालन करें।। १।। सभासद् और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा दे कि हे (सभ्य) सभा के योग्य मुख्य सभासद् ! तू (मे) मेरी (सभाम्) सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का (पाहि) पालन कर और (ये च) जो (सभ्याः) सभा के योग्य (सभासदः) सभासद् हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन करें।। २।। इसका अभिप्राय यह है कि एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिए किन्तु राजा जो सभापति तदधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के आधीन, और प्रजा राजसभा के आधीन रहे। यदि ऐसा न करोगे तो :—

राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः।
विशमेव राष्ट्रायाद्यं तस्माद्राष्ट्री विशमत्ति न पुष्टं पशुं मन्यत इति।।

शत० कां० १३। (प्रपा०)२। ब्रा०। ३। (क० ७-८)

जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो राजपुरुष (राष्ट्रमेव विश्याहन्ति) राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करे। जिसलिये अकेला राजा स्वाधीन वा उन्मत्त होके (राष्ट्री विशं घातुकः) प्रजा का नाशक होता है, इसलिये किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिए। जैसे—सिंह वा मांसाहारी पुष्ट पशु को मार कर खा लेते हैं, वैसे (राष्ट्री विशमत्ति) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है, अर्थात् किसी को अपने से अधिक न होने देता, श्रीमान् को लूट-अन्याय से दण्ड दे के अपना प्रयोजन करेगा। इसलिए—